

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड)
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य आजीविका भवन
सर्वेचौक देहरादून, उत्तराखण्ड, पि.248001

संख्या 590 /186/यू.एस.आर.एल.एम./एच.ए./2016 दिनांक 2.12.2016

विषय विशेषज्ञों से अस्थाई/ संविदा/प्रतिनियुक्ति/ नियत मानदेय के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 590/XI/16/53/(08) 11 टी0सी0,दिनांक, 25 अक्टूबर 2016 तथा संख्या 2709/XI/16/53/(08) 2011 टी0सी0,दिनांक, 18 नवम्बर 2016 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सफल संचालन हेतु जनपद पौड़ी के विकासखण्ड थैलीसैड़, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा व विकासखण्ड सितारगंज तथा जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के लिए प्रति विकासखण्ड 03 पद (1)मिशन प्रबन्धक (2) लेखाकार/सहायक लेखाकार,(3) परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर अस्थाई/संविदा/प्रतिनियुक्ति/नियत मानदेय के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त विषय विशेषज्ञों/पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदन पत्र, निर्धारित अर्हता एवं दक्षता व तत्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0 देहरादून की बैबसाइट www.uksrln.uk.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 03-01-2017 की सांय 5.00 बजे तक सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों में पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से जमा किये जायेंगे। जिसके बाद आवेदन पत्रों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के बाहर से आवेदित पद का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राज्य स्तर पर कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों अथवा जिला मिशन प्रबन्धक कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

(युगल किशोर पन्त)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0एस0आर0एल0एम0

आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद-
2. विज्ञापन संख्या एवं दिनांक -
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम-
4. जन्म तिथि-
5. राष्ट्रीयता-
6. लिंग-
7. पिता/पति का नाम-
8. पत्राचार का पता-
9. स्थाई पता-
10. दूरभाष नम्बर- (1) मोबाइल-
ईमेल आईडी-
11. वर्ग-
12. शैक्षिक अर्हता:-

सत्यापित पासपोर्ट
आकार का अपना
नवीनतम रंगीन
फोटा चिपकाएं

आवास-

अर्हता	विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी व अंकों का प्रतिशत	मुख्य विषय

13. पिछली/वर्तमान नौकरी, यदि कोई हो, का ब्यौरा (कृपया कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियों संलग्न करें)

पूरे पते के साथ	धारित पद	अवधि		वेतनमान/प्राप्त वेतन	कार्य का स्वरूप
		कब से	कब तक		

14.अन्य कोई अनुभव एवं जानकारी,-

घोषणा -

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य तथा सही हैं। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाय कि मेरे द्वारा जानबूझकर तथ्य को छिपाया गया है या गलत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है, तो मेरी अभ्यर्थिता पूरी तरह अस्वीकार कर दी जायेगी तथा मेरी नौकरी समाप्त कर दी जायेगी।

स्थान-
दिनांक-

अभ्यर्थी के नाम व हस्ताक्षर

संख्या: 590 / XI / 16 / 53(08)11टी0सी0

प्रेषक,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

देहरादून दिनांक: 25 अक्टूबर, 2016

विषय:- भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सफल संचालन हेतु 05 विकास खण्डों में 15 अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आजीविका मिशन के पत्र संख्या-69/टी0सी0-19यू0एस0आर0एल0एम0/2014दिनांक-05मई, 2016 एवं पत्र संख्या-161/दिनांक-13 जून, 2106 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सफल संचालन हेतु शासनादेश संख्या-3610/XI/13/53(08)11 दिनांक-03 सितम्बर, 2013 के द्वारा राज्य स्तर/जनपद स्तर/10 विकास खण्डों हेतु कुल 40 अस्थाई पदों का सृजन किया गया था। उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में 05 विकास खण्डों (थलीसैण, कल्जीखाल, खटीमा, सितारगंज, धारचूला) का अतिरिक्त चयन करते हुए प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 03 पद (मिशन प्रबन्धक, लेखाकार/सहायक लेखाकार, परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर प्रोग्रामर) इस प्रकार कुल 15 अस्थाई पदों का सृजन दिनांक 28.02.2017 अथवा शासन के अग्रिम आदेशों जो भी पहले घटित हो तक के लिए नितान्त अस्थाई/संविदा पर पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन पदों का सृजन भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही मान्य होगी।

विकास खण्ड स्तर-

क्र० सं०	पदनाम	देय वेतनकम/एक मुश्त वेतन/यात्रा एवं दैनिक भत्ते	प्रस्तावित सृजित पद	जॉब चार्ट	अभियुक्ति
1.	मिशन प्रबन्धक	रु० 35000/एक मुश्त प्रतिमाह अथवा प्रतिनियुक्ति पर पे बैंड-11 के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन ग्रेड पे रु०-5400/	05 (प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 01 पद)	विकास खण्ड स्तर पर मिशन के टीम लीडर के रूप में कार्य, अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ कार्यों का निर्देशन व प्रबन्धन, प्रशासनिक कार्य तथा समस्त वित्तीय कार्य का उत्तरदायित्व। सरकारी विभागों/बैंकों/सामाजिक संगठनों तथा वाह्य सहायित वित्त संस्थाओं के साथ समन्वय, विकास खण्ड स्तरीय फंडरेशनों का गठन/सुदृढीकरण,	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- 1-प्रबन्धन में डिग्री/डिप्लोमा 2-एम0एस0डब्लू0 या सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर। 3-ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्बन्धी डिप्लोमा 4-कम से कम 05 वर्ष का ग्रामीण विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के निर्माण व प्रबन्धन में कार्य करने का अनुभव। 5-अग्रेजी में वार्तालाप व लेखन

1531/05241
15-11/16

EO

S.P.M. (H.R.)

क्र० तदनुसार

आ०आ०के०

15/11/16

ACEO

S.P.M. CHR&S
15/11/2016

				<p>प्रशिक्षण, एम0आई0एस0 अपडेशन सभी सम्बन्धितों को रिपोर्टिंग अन्य कार्य जो मिशन हेतु विकास खण्ड स्तर पर आवश्यक हों</p>	<p>में प्रवीणता। 6-कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता। प्रतिनियुक्ति पर 7-राज्य अधीन विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के अधिकारी पे-बैण्ड-111 तथा ग्रेड पे-5400/ के अधिकारी। 8-परियोजनाओं के निर्माण व प्रबन्धन में कार्य करने का अनुभव। 9-अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता। 10-कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता।</p>
2.	लेखाकार / सहायक लेखाकार	संविदा पर रू0 15000/ एक मुश्त प्रतिमाह अथवा एस0जी0एस0वाई0 में कार्यरत विकास खण्ड में तैनात लेखाकार सरकार द्वारा अनुमन्य पे0 बैण्ड-11 के वेतनमान के ग्रेड पे रू0-4800/ कर्मचारी	05 (प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 01 पद)	ग्रामीण आजीविका मिशन के लेखा एवं सम्प्रेक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य।	<p>खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- 1-एम0कॉम उपाधि उत्तीर्ण 2-लेखा व सम्प्रेक्षण सम्बन्धी कार्य में कम से कम 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। 3-अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता। 4-कम्प्यूटर में एकाउण्ट पैकेज कार्य करने में प्रवीणता। प्रतिनियुक्ति पर 5-राज्य अधीन विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के कर्मचारी पे बैण्ड-11 कर्मचारी जिन्हे एस0 जी0 एस0वाई0 6-लेखा सम्बन्धी कार्यों में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव हो। 7-लेखाकार टेली पैकेज एवं कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता। 8-अंग्रेजी एवं हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य</p>

3.	परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर प्रोग्रामर	संविदा पर 15000/ एक मुश्त प्रतिमाह	05 (प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 01 पद)		खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता: 1-प्रबन्धन में डिप्लोमा/ एम0एस0डब्लू या सामाजिक विज्ञान अथवा लाइफ सांइसेज में स्नातकोत्तर। 2-कम से कम 2 वर्ष का ग्रामीण विकास सम्बन्धी परियोजनाओं प्रबन्धन में कार्य करने का अनुभव। 3-अंग्रेजी में प्रवीणता। 4-कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता।
कुल पदों की संख्या-			15		

- जनपद स्तर पर कार्यों का संचालन ग्राम्य विकास संवर्ग/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 59(NP) दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 590 /XI/16/53 (08)11 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास।
- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आजीविका मिशन।
- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पंत)
अपर सचिव।

संख्या: 2769 / XI / 16 / 53(08)2011 (TC)

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास,
विकास भवन, देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 18 नवम्बर, 2016

विषय:- डे-एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर को सघन विकासखण्ड के रूप में आच्छादित किए जाने विषयक। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 230/141/यू0एस0आर0एल0एम0/2016 दिनांक: 23.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वितीय चरण हेतु चयनित जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल को समेकित आजीविका विकास परियोजना के फेज-2 के अन्तर्गत संतृप्त किया जा रहा है। अतः उक्त योजनान्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल के स्थान पर जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर का चयन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डे-एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत द्वितीय चरण में सघन विकासखण्ड के रूप में जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल के स्थान पर जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर का चयन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।